COURT FEE भारत INDIA पच्चीस पैसे 25 PAISE — 24 JAN 1987

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 20-4/87 निगरानी

बिहारीलाल पिता लालजी गुजर
निवासी ग्राम लसुड़िया बेवर तहसील तराना जिला
उज्जैन ------आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील
तराना --------अनावेदक

R 20-IV/87

114-IV

पुनरीक्षण का आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ५० भू० रा०संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक आधीनस्थ योग्य न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन के प्र० क्र० २४३/८५-८६ अपील आदेश - दिनांक २९-१०-८६ से असन्तुष्ट एवम दुःखित होकर निम्नकारणों के आधार पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

१:- यह कि आधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर-निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२:- यह कि आधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार महोदय द्वारा जो रिव्यु हेतु आदेश दिया गया उसको आधीनस्थ न्यायालय उचित मानने में महान वैधानिक त्रुटि की है।

३:- यह कि रिव्यु किन आधारों पर किया जा सकता है। मध्यप्रदेश भू० राजस्व संहिता की धारा ५१ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश ४७ के समक्ष है। इस प्रकार आदेश ४७ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान है उसमें मौजूदा प्रकरण किसी से नहीं आता परन्तु इस वैधानिक स्थिती को समझे बगैर आदेश पारित किये जाने में आधीनस्थ न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है।

प्राप्त

९-२-८७

(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 20–चार/1987 **जिला–उज्जैन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.09.2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 14–02–1995 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–09–2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 14–02–1995 से 03–09–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–09–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1987 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	